


फार्म

*अचल सम्पत्ति का विवरण, 31 दिसम्बर वर्ष 2019 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम,जिसमें वह हो— अमरनाथ सिंह 2. वर्तमान धारित पद – सहायक आयुक्त
3. वर्तमान वेतन – 75,700/- + मंहगाई भत्ता 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2020

क्र	उस जिले,उपसम्भाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर हो तो बतलाईयें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया***खरीद,पट्टा, बंधक,विरासत,भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	यदि विरासत में नहीं हो तो शासन को सूचना देने/अनुमति प्राप्त करने का दिनांक
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम – देवरिया पोस्ट – पड़वों (उदंतराय का बंगरा) जिला गोपालगंज बिहार	दो मकान	5 एकड़ कृषि भूमि (लगभग)	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	पिता के नाम पर विरासत	विरासत	---
2	रजत बिहार कॉलोनी अहमदपुर कलां रोड होशंगाबाद रोड भोपाल आवासीय प्लॉट क्रय एवं भवन निर्माण	आवासीय प्लॉट 2447 वर्गफीट	---	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं के नाम पर	रजत हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी भोपाल से खरीदा तथा रु. 13,00,000 /- (तेरह लाख) बैंक लोन लेकर तथा स्वयं संचित निधि सहित रु. 17.30 लाख का आवासीय भवन बनवाया गया।	

यदि विरासत या भेंट नहीं है तो उसके लिये लगाये गये वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण जिनमें नगर, ऋण या भेंट ली है, उसका पूरा पता दिया जाये ।	यदि सम्पत्ति में सुधार/विस्तार किया गया हो तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार विस्तार के लिये शासन को नियमानुसार सूचित किया गया, अनुमति ली गई	सम्पत्ति से वार्षिक आय	यदि सम्पत्ति को बेचा या हस्तांतरण किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14
विरासत	----	----	1.80 लाख लगभग	----	----
रु. 1,65,000 /- पार्टफाइनल एवं राशि रु. 13,00,000 /- बैंक लोन	----	----	----	----	----
*	जहां लागू न हो काट दीजिये				हस्ताक्षर  नाम- अमरनाथ सिंह, पदनाम - सहायक आयुक्त, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ भोपाल म.प्र.
**	ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के लगभग मूल्य बतलाया जाये।				
***	इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।				
टिप्पणी	मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(आचरण)नियम1959 के नियम18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि सेवा में पहली बार नियुक्ति के समय ओर उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें ओर उसमें उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो तो उस सम्पत्ति का ब्यौरा दिया जाये ।				